

Circular No.:SGS/Admin./PC015/2026-27
Monday, 20 April 2026



Subject: Students Using Private Vans/Cabs

Dear Parents,

We understand that many of you will be arranging school van transportation for your children independently this year. The safety and security of our students remain our highest priority. The school continues to take all necessary measures to ensure their well-being. However, we seek your full cooperation in ensuring the safety of students who commute by private Vans/Cabs.

You are once again requested to ensure that all guidelines issued by the Hon'ble Supreme Court of India and Transport Department, Govt. of Delhi, are strictly followed by the owners/contractors of the Vans/Cabs engaged by you. As parents, it is your primary responsibility to ensure the safety of your ward during transit.

In order to ensure strict compliance with road safety and regulatory guidelines, it is brought to your notice a few provisions of the Hon'ble Supreme Court directions and Transport Department norms. Kindly ensure compliance with the following requirements:

1. The Van/Cab must be registered with the Transport Department under the School Cab Scheme of the Private Motor Vehicles Act and must possess a valid Fitness Certificate. Copies of the PUC, Insurance, and Fitness Certificate must be submitted to School along with the van proforma.
2. The vehicle must be equipped with essential safety features, including GPS device, fire extinguisher, first-aid box, a speed governor to ensure that it does not exceed speed limit of 40 km/h and horizontal window grills.
3. The vehicle must be registered under the series DL 1K.
4. A board measuring 250 mm × 250 mm with the words 'SCHOOL CAB' in bold black letters on a golden-yellow background must be prominently displayed when transporting school children.
5. The vehicle should have a roof carrier for storing school bags.
6. A register containing details of all students (name, father's name, address, school name, and contact numbers) must be maintained in the vehicle.
7. The vehicle must be fitted with convex cross rear-view mirrors on both sides.
8. The name, address, and contact number of the permit holder must be clearly displayed on the rear exterior of the vehicle in bold letters.
9. The driver must not have been challaned or charged for offences such as over-speeding, drunken driving, dangerous driving, or violations under relevant sections of law. Parents must verify these details carefully.

Page 1 of 2


10. A lady attendant or a mother volunteer must accompany the students in the vehicle at all times.
11. The maximum occupancy, including driver, attendant and children, must not exceed 1½ (one and a half) times the seating capacity specified in the registration certificate. No child should be made to sit on another child's lap. Parents are requested to ensure strict adherence to this rule.
12. Parents must provide:
 - 12.1 **Complete and accurate details of the driver, including:**
 - Copy of the driver's license.
 - Police verification and character/antecedent verification documents.
 - Contact details of the driver and the contractor/owner (if different).
 - Details of the vehicle.
 - 12.2 The driver must have a minimum of five years of driving experience with no prior traffic violations (particularly red-light jumping or lane violations). **Please note that providing only the contractor/owner's details is insufficient and does not comply with guidelines.** Non-submission of complete information may result in delays during dispersal or require parents to pick up their ward from school.
13. The drop-off timings are as follows:
 - Classes III – XII: Not earlier than 7:30 AM
 - Balvatika 1 to Class II: Not earlier than 8:30 AM
14. In case of any change in driver or vehicle, parents must resubmit the updated van proforma along with a written application at the school reception on priority. New ID cards will be issued on payment basis.

Parents are strongly advised to personally monitor the drivers engaged by them to ensure compliance with all safety norms. Please note that the school neither hires these Vans/Cabs nor can it guarantee full compliance with the prescribed guidelines at all times.

If you wish to update any information or documents related to the Van/Cab service, please resubmit the updated van proforma along with an application at the school reception by **Friday, 24 April 2026**, to enable timely updating of school ID cards.

We solicit your active involvement, cooperation, and support in ensuring the safety and security of all our students.

Warm regards,


Miti Dhingra
Head of School

Encl: Undertaking for Private Transport (to be submitted to the Class Teacher by Wednesday, 22 April 2026)

Page 2 of 2

SACHDEVA GLOBAL SCHOOL
DWARKA, NEW DELHI

UNDERTAKING FOR PRIVATE TRANSPORT

I/We _____ Mother/Father/Guardian of _____
Class/Section _____ Admission No. _____ undertake to verify the
antecedents of the van driver from the local police station and submit copy of the same of
the school. Further I/we understand and agree that my/our ward is availing the same
solely at my/our discretion. I/we undertake that we will not hold the school responsible
in the event of any deficiency of service or untoward incident on account of any specifically
release, indemnify and hold the school free from liability for any claims arising out of the
incident.

Signature : _____
(Mother/Father/Guardian)

Date : _____



विषय: निजी वैन/टैक्सी का उपयोग करने वाले छात्र

प्रिय अभिभावकगण,

हम समझते हैं कि आपमें से कई लोग इस वर्ष अपने बच्चों के लिए स्कूल वैन परिवहन की व्यवस्था स्वयं करेंगे। हमारे छात्रों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यालय उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। हालांकि, निजी वैन/टैक्सी से आने-जाने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम आपका पूर्ण सहयोग चाहते हैं।

आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली वैन/टैक्सी के मालिकों/ठेकेदारों द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। अभिभावक के रूप में, यात्रा के दौरान अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

सड़क सुरक्षा और नियामक दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और परिवहन विभाग के मानदंडों के कुछ प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। कृपया निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें:

1. वैन/कैब का निजी मोटर वाहन अधिनियम की स्कूल कैब योजना के अंतर्गत परिवहन विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है और उसके पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र होना चाहिए। पीयूसी, बीमा और फिटनेस प्रमाणपत्र की प्रतियां वैन के प्रोफार्मा के साथ स्कूल में जमा करनी होंगी।
2. वाहन में आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं होनी चाहिए, जिनमें जीपीएस उपकरण, अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, 40 किमी/घंटा की गति सीमा से अधिक न होने के लिए स्पीड गवर्नर और क्षैतिज खिड़की ग्रिल शामिल हैं।
3. वाहन का पंजीकरण DL 1k श्रृंखला के अंतर्गत होना चाहिए।
4. स्कूली बच्चों को ले जाते समय सुनहरे-पीले रंग की पृष्ठभूमि पर मोटे काले अक्षरों में 'स्कूल कैब' लिखा हुआ 250 मिमी × 250 मिमी का बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित होना चाहिए।
5. वाहन में स्कूल बैग रखने के लिए छत पर कैरियर होना चाहिए।
6. वाहन में सभी छात्रों का विवरण (नाम, पिता का नाम, पता, विद्यालय का नाम और संपर्क नंबर) रखने वाला एक रजिस्टर होना अनिवार्य है।
7. वाहन में दोनों तरफ उत्तल क्रॉस रियर-व्यू मिरर लगे होने चाहिए।
8. परमिट धारक का नाम, पता और संपर्क नंबर वाहन के पिछले हिस्से पर मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए।
9. चालक पर ओवर-स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खतरनाक ड्राइविंग या संबंधित कानूनी धाराओं के उल्लंघन जैसे अपराधों के लिए चालान या आरोप नहीं लगाया गया होना चाहिए। अभिभावकों को इन विवरणों की सावधानीपूर्वक पुष्टि करनी चाहिए।

पृष्ठ 1/2

10. एक महिला परिचारिका या माता स्वयंसेवक का हर समय छात्रों के साथ वाहन में रहना अनिवार्य है।
11. चालक, परिचारिका और बच्चों सहित अधिकतम संख्या पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट बैठने की क्षमता के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी बच्चे को दूसरे बच्चे की गोद में नहीं बैठाया जाना चाहिए। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

12. अभिभावकों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:

12.1 चालक का पूर्ण और सटीक विवरण, जिसमें शामिल हैं:

- ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।
- पुलिस सत्यापन और चरित्र/पूर्ववृत्त सत्यापन दस्तावेज।
- चालक और ठेकेदार/मालिक (यदि अलग-अलग हों) के संपर्क विवरण।
- वाहन का विवरण।

12.2 चालक के पास कम से कम पांच वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए और उस पर कोई पूर्व यातायात उल्लंघन (विशेष रूप से लाल बत्ती जंप करना या लेन उल्लंघन) का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि केवल ठेकेदार/मालिक का विवरण देना अपर्याप्त है और दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करता है।** पूरी जानकारी न देने पर बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलने में देरी हो सकती है या अभिभावकों को अपने बच्चे को स्कूल से लेने आना पड़ सकता है।

13. बच्चों को स्कूल छोड़ने का समय इस प्रकार है:

- कक्षा III से XII: सुबह 7:30 बजे से पहले नहीं
- बालवाटिका I से कक्षा II: सुबह 8:30 बजे से पहले नहीं


14. ड्राइवर या वाहन में किसी भी बदलाव की स्थिति में, अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूल रिसेप्शन पर लिखित आवेदन के साथ अद्यतन वैन प्रोफार्मा पुनः जमा करना होगा। नए पहचान पत्र भुगतान के आधार पर जारी किए जाएंगे।

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा नियुक्त ड्राइवरों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें ताकि सभी सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। कृपया ध्यान दें कि स्कूल न तो इन वैन/कैबों को किराए पर लेता है और न ही हर समय निर्धारित दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन की गारंटी दे सकता है।

यदि आप वैन/कैब सेवा से संबंधित किसी भी जानकारी या दस्तावेज को अपडेट करना चाहते हैं, तो कृपया स्कूल पहचान पत्र को समय पर अपडेट करने के लिए **शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026** तक स्कूल रिसेप्शन पर आवेदन के साथ अद्यतन वैन प्रोफार्मा पुनः जमा करें।

हम अपने सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आपकी सक्रिय भागीदारी, सहयोग और समर्थन का अनुरोध करते हैं।

सादर,


मिति द्विगस
विद्यालय प्रमुख

संलग्न: निजी परिवहन के लिए वचन पत्र (कक्षा शिक्षक को बुधवार, 22 अप्रैल 2026 तक जमा करना होगा)

पृष्ठ 2/2

सचदेवा ग्लोबल स्कूल
द्वारका, नई दिल्ली

निजी परिवहन के लिए वचन पत्र

मैं/हम _____ माता/पिता/अभिभावक _____
कक्षा/अनुभाग _____ प्रवेश संख्या _____ स्थानीय पुलिस स्टेशन से वैन चालक
के पूर्ववृत्त की पुष्टि करने और उसकी प्रति विद्यालय को प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ। इसके
अलावा, मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं और सहमत हूँ/हैं कि मेरा/हमारा बच्चा इस सेवा का लाभ पूरी
तरह से मेरे/हमारे विवेक पर ले रहा/रही है। मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि किसी भी प्रकार की सेवा में
कमी या अप्रिय घटना होने पर हम विद्यालय को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैं/हम विशेष रूप से विद्यालय
को किसी भी प्रकार के दावे से मुक्त करता/करती हूँ और उसे किसी भी दायित्व से मुक्त रखता/रखती
हूँ।

हस्ताक्षर : _____
(माता/पिता/अभिभावक)

दिनांक : _____